10 फीसद की कमी आई है महिला श्रमशक्ति की भागीदारी में। देश में 2006 में महिला श्रमशक्ति की 34 फीसद भागीदारी थी जो 2020 में घटकर 24.8 फीसद रह गई है।

लोस में घमासान-निलंबन की जांच के लिए बनी कमेटी

बनेगी बात ▶ स्पीकर बिरला करेंगे अगुआई, दो से पांच मार्च के हंगामे की होगी जांच

अधीर रंजन बोले, जेबकतरों को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा से निलंबित कांग्रेस के सात सांसदों के साथ पार्टी के नेता राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। कांग्रेस सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष पर कागज फेंकने का आरोप है। प्रेट्र

स्पीकर ओम बिरला की अगुआई में बनी एक कमेटी लोकसभा में दो से पांच मार्च तक हुए भारी हंगामे की जांच करेगी। इस हंगामे की वजह से ही गुरुवार को कांग्रेस के सात सांसदों को निलंबित किया गया था। कांग्रेस के साथ अब दूसरे विपक्षी दल भी इस निलंबन के खिलाफ मुखर हो गए हैं। कांग्रेस ने जहां सांसदों के निलंबन को पक्षतापूर्ण और अलोकतांत्रिक करार दिया है। वहीं अन्य विपक्षी पार्टियों ने इसे छोटी गलती के लिए बड़ी सजा बताया है। जबकि सरकार ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि सदन की मर्यादा कायम रखने के लिए सांसदों को निलंबित किया गया है।

स्पीकर की अगुआई में हंगामे की जांच के लिए कमेटी के गठन की घोषणा आसन पर पीठासीन अधिकारी के तौर पर सदन का संचालन कर रहे भाजपा सांसद किरीट सोलंकी ने की। सभी प्रमुख दलों के नेताओं को कमेटी में शामिल किया जाएगा और इसका फैसला स्पीकर करेंगे। हालांकि कमेटी जांच कब तक पूरा करेगी इस पर स्थिति अभी साफ नहीं है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने सांसदों के निलंबन को मामूली गलती के लिए बड़ी सजा बताया। हालांकि उन्होंने जिस तरह इसे रखा उस पर भी विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा- 'जेब कटुओं को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता है।' तत्काल सत्तापक्ष की ओर से सवाल उठाया गया कि अधीर रंजन निलंबित सांसदों की तुलना जेब कटुओं से कर रहे हैं जो गलत है।

अधीर का कहना था कि यह निलंबन सदन ने नहीं सरकार ने कराया है जो बेहद पक्षपातपूर्ण है क्योंकि सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले राजग के सहयोगी हनुमान बेनीवाल और उनका साथ देने वाले भाजपा सांसदों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सांसदों के निलंबन का आधार गलत ही नहीं बल्कि समझ से परे है। सरकार के प्रस्ताव को भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी के पीठासीन अधिकारी के तौर पर पारित कराने पर भी कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया। अधीर ने कहा कि स्पीकर के आसन के प्रति कांग्रेस और उसके सदस्यों की आस्था व सम्मान है। लेकिन बेनीवाल की टिप्पणी ने गौरव गोगोई और कांग्रेस के सदस्यों को उत्तेजित किया। मगर इसके लिए जिम्मेदार सत्तापक्ष के सदस्यों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई को सदन में दूसरे विपक्षी दलों का भी साथ मिला। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंधोपाध्याय, राकांपा की सुप्रिया सुले और द्रमुक के दयानिधि मारन ने भी सांसदों के निलंबन पर सवाल उठाया। हालांकि सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने निलंबन को सही ठहराते हुए कहा कि आसन से कागज छीनकर उड़ाने की घटना कभी नहीं हुई। हंगामे में सदन की मर्यादा को इस तरह के आचरण से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जोशी ने कहा कि 15वीं लोकसभा में लालकृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता के तौर पर इस मर्यादा की सीमा से परे अपने सदस्यों को नहीं जाने देते थे और तब भी भाजपा के 45 सदस्य एक बार निलंबित किए गए थे। बहरहाल सदन में हंगामे और निलंबन से उपजे गतिरोध का हल स्पीकर की अगुआई वाली कमेटी की जांच निष्कर्षों पर निर्भर करेगा। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी तो निलंबन वापस हो जाएगा। सरकार ने भी कहा कि कमेटी का जो भी निष्कर्ष और फैसला होगा उसे वह स्वीकार करेगी।

हंगामे के बीच सरकार ने पारित कराए दो विधेयक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

घमासान के बीच काम

- राज्यसभा में पांचवें दिन भी नहीं हुआ कोई काम, दोनों सदन होली तक के लिए स्थगित
- निलंबित सांसदों ने संसद भवन परिसर में किया प्रदर्शन

प्रहलाद जोशी फाइल फोटो

संसद के दोनों ही सदनों में शुक्रवार को भी हंगामा जारी रहा। हालांकि इस हंगामे के बीच लोकसभा से सरकार ने अपने दो जरूरी विधेयकों को पारित भी करा लिया, जबकि राज्यसभा में हंगामे के चलते पांचवें दिन भी कोई काम नहीं हुआ। आखिरकार लगातार जारी हंगामे के चलते दोनों ही सदन की कार्यवाही को 11 मार्च तक के स्थगित कर दिया गया। वहीं लोकसभा से निलंबित कांग्रेस के सभी सातों सासंदों ने संसद भवन परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस धरने में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया।

सरकार ने इस दौरान लोकसभा से जो दो विधेयक पारित कराए है, उनमें एक खनन कानून संशोधन विधेयक व दूसरा इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक शामिल है। दोनों ही विधेयक लोकसभा से बगैर किसी चर्चा के पारित हो गए। खनन कानून संशोधन विधयेक को सदन में पेश करते हुए कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इससे खनन एवं खनिज के क्षेत्र में अहम बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि देश में आज प्रचुर मात्रा में कोयला होने के बावजूद भी हमें मौजूदा समय में इसका आयात करना पड़ता है, लेकिन इस विधेयक से पारित होने से इस पर लगे प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। दूसरे खनिजों के खनन में ही इससे लाभ मिलेगा। वहीं बैंकरप्सी कोड संशोधन विधेयक के तहत देश में दिवालिया प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रावधान हैं। यह संशोधन विधेयक दिवालिया होने वाली कंपनियों में निवेशकों के अधिकार को सुरक्षित करने का काम करेगा। उन पर पहले के प्रमोटरों की आपराधिक गतिविधियों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं राज्यसभा में लगातार पांचवें दिन हंगामे को देख सभापति एम वैंकेया नायडू ने नाखुशी जताई और कहा कि सरकार और विपक्ष को इस पर विचार करना चाहिए। लोकसभा में भी शुक्रवार को कांग्रेस ने हंगामा किया।

अफसरों की कमी सीबीआइ जांच पर पड़ सकती है भारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : एक संसदीय समिति ने कहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) में अधिकारियों की बड़े पैमाने पर कमी का असर इस एजेंसी की जांच-पड़ताल की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। समिति ने सरकार से रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है।

समिति के मुताबिक धोखाधड़ी करने वाले तत्व लगातार नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं और इस क्रम में निगरानी तंत्र की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसी संस्था अपनी क्षमताओं का विकास करें। समिति का विचार है कि सीबीआइ का ढांचा उपयुक्त नहीं है। इस एजेंसी को 1300 करोड़ के बजट के मुकाबले केवल 802 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसका असर एजेंसी के कामकाज पर पड़ेगा।

कार्मिक, जनशिकायतें, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव हैं। समिति की रिपोर्ट राज्यसभा में प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्जीक्यूटिव स्तर के 789, विधि अधिकारियों के 77 और तकनीकी अधिकारियों के लिए 415 पद रिक्त हैं। कम बजटीय आवंटन का असर सीबीआइ के अफसरों की ट्रेनिंग, रिसर्च, उपकरण और अन्य सुविधाओं पर पड़ेगा। समिति ने सुझाव दिया है कि सीबीआइ और सरकार, दोनों को आत्मचिंतन करते हुए उन कमियों की पहचान करनी चाहिए जिनके चलते एजेंसी का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

कांग्रेस को चंदे से जुड़े मामले में अहमद पटेल को आयकर विभाग ने किया तलब

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस को मिले चंदे और उसके लेनदेन से जुड़ी कर चोरी की जांच के सिलसिले में आयकर विभाग ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को समन किया है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष की हैसियत से उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नया नोटिस भेजा गया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अहमद पटेल को पेश होने के लिए जब फरवरी में पहली बार समन भेजा गया था तब उन्होंने सूचित किया था कि वह अस्वस्थ हैं। अब उनके अगले महीने की शुरुआत में पेश होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग अहमद पटेल से पूछताछ करना चाहता है। कांग्रेस की आय, चंदे और खर्च को समझना चाहता है। साथ ही पिछले साल

फरवरी में भी किया गया था समन, अस्वस्थ होने के कारण नहीं हुए थे पेश

मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न ठिकानों पर ली गई तलाशी के दौरान जब्त पार्टी को मिले चंदे से जुड़े दस्तावेजों के बारे में सवाल करना चाहता है। हालांकि, अहमद पटेल का कहना है कि वह समन देखकर आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे अकाउंट पारदर्शी और साफ हैं। बेहतर होता कि वे (आयकर विभाग) भाजपा को मिले रिकॉर्ड चंदे को देखते। उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं निश्चित तौर पर जाउंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है।' गुजरात से राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल ने दावा किया कि भाजपा को नकदी और चेक के जरिये 10 हजार करोड़ रुपये का राजनीतिक चंदा मिला है। भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को इतना चंदा कभी नहीं मिला। यह घोर भ्रष्टाचार है। मालूम हो कि आयकर विभाग को पार्टी के लेनदेन में अनियमितता का संदेह है और वह पहले भी कांग्रेस के करीब दर्जनभर पदाधिकारियों से पूछताछ कर चुका है। इस सिलसिले में विभाग ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और इरोड समेत 42 ठिकानों पर छापेमारी की थी। विभाग ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगी के परिसरों समेत राज्य के 52 स्थानों पर भी छापे मारे थे।

विद्वेष, मंदी व महामारी के खतरे का सामना कर रहा देश : मनमोहन

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत अभी तीन खतरों सामाजिक विद्वेष, आर्थिक मंदी और वैश्विक महामारी का सामना कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को यह चेतावनी देते हुए जोर देकर कहा कि खतरों के इस मिश्रण से न केवल भारत की आत्मा पर आघात होगा, बल्कि उसका वैश्विक रुख भी तबाह हो जाएगा। एक अंग्रेजी दैनिक में छपे अपने विचार में पूर्व पीएम ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत तेजी से पिछड़ता जा रहा है। मनमोहन ने चुनौतियों के समाधान के लिए त्रिसूत्रीय सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी शक्ति लगाए और प्रयास करे, नागरिकता अधिनियम वापस ले या उसे संशोधित करे।

कांग्रेस ने यस बैंक संकट को सरकार के आर्थिक प्रबंधन की नाकामी बताया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने आर्थिक मंदी के बीच बैंकों के धराशायी होने की बढ़ रही घटनाओं को चिंताजनक करार देते हुए सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यस बैंक के ताजा संकट को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विचारों ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी लचर हालत में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। जबकि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने यस बैंक संकट का ठीकरा संप्रग के सिर फोड़ने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावे को खोखला करार दिया।

यस बैंक संकट से देशभर में इसके ग्राहकों की बेचैनी के मद्देनजर राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। खातों से निकासी पर लगाई गई पाबंदी पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि मोदी और उनके विचारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था को भाजपा सरकार की नीतियों ने बर्बाद किया है- यस। क्या अर्थव्यवस्था की इस लचर हालत में भारतीय अर्थव्यवस्था पांच लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य को छू पाएगी- नो। भाजपा सरकार की देन- बर्बादी को यस, प्रगति को नो।'

वहीं, चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री सीतारमण ने परोक्ष रूप से संप्रग पर ठीकरा फोड़ा है और अपने कार्यकाल के आखिर तक वह ऐसा ही करेंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यस बैंक संकट बीते तीन साल की देन है। खुद सीतारमण ने बयान दिया था कि यस बैंक संकट 2017 से शुरू हुआ। सच्चाई यह है कि संप्रग ने किसी बैंक को धराशायी नहीं होने दिया। कमजोर बैंकों का संकट से पहले ही विलय किया गया। रिजर्व बैंक के गर्वनर रहे डॉ. सी. रंगराजन और डॉ. वाईवी रेड्डी ने विलय का फैसला किया तो वित्त मंत्री इन दोनों को बुलाकर उनके निर्णयों के बारे में क्यों नहीं पूछ लेतीं। तब वित्त मंत्री को मालूम हो जाएगा कि निर्णय सही थे और सक्षम गर्वनरों ने यह फैसला लिया था। इसके उलट मौजूदा सरकार ने कमजोर बैंकों के विलय को लेकर रिजर्व बैंक से चर्चा के अलावा कुछ ठोस नहीं किया।

यस बैंक संकट के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री ने अपनी सफाई में बैंक के कुल कर्ज आंकड़ों की अनदेखी की। वित्त मंत्री इसका भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाईं कि यस बैंक का कर्ज मार्च 2014 में 55,633 करोड़ रुपये के मुकाबले उछाल मारकर मार्च 2019 में 2,41,999 करोड़ रुपये कैसे पहुंच गया। नोटबंदी के बाद 2017 से 2019 के दो साल में तो इसके कर्ज में जबरदस्त इजाफा हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बाकी बैंकों के कर्ज इस अवधि में 10 फीसद सालाना के हिसाब से बढ़े तब यस बैंक का 35 फीसद की दर से कैसे बढ़ा?

कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों से यस बैंक का बुरा हाल : सीतारमण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वित्त मंत्री ने कहा-कांग्रेस काल में भी कई बैंक हुए फेल
- डूबने वाले लोन वर्ष 2004-2014 के बीच बांटे गए थे

यस बैंक के डूबने की नौबत तक पहुंचने के लिए वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराए जाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पूर्व की कांग्रेस सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यस बैंक को इस हालत में पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार और उसके वित्तीय 'डॉक्टर' जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि यस बैंक ने अपने सारे डूबने वाले लोन वर्ष 2014 से पहले दिए। उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी। सीतारमण ने कहा कि अनिल अंबानी, एस्सल ग्रुप, डीएचएफएल, आइएलएफएस, वोडाफोन, कैफे कॉफी डे जैसी कंपनियों को उस दौरान ही लोन दिए गए। इन कंपनियों को दिए जाने वाले लोन के फंसने से यस बैंक इस दयनीय स्थिति में पहुंचा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004-14 के दौरान बैंकिंग सिस्टम को हैंडल करने के तरीके की वजह से बैंकों में वित्तीय संकट की नौबत आई।

सीतारमण ने आइडीबीआइ बैंक की खराब वित्तीय स्थिति के लिए भी कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के जमाने में भी बैंकों के इस प्रकार से फेल होने की घटनाएं हुईं। वर्ष 2006 में यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक (यूडब्ल्यूबी) के फेल होने पर आइडीबीआइ बैंक में उसका विलय कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आइडीबीआइ खराब स्थिति में पहुंच गया। वर्ष 2006 में गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवड़ (जीबीके) के फेल होने पर उसे फेडरल बैंक में विलय किया गया। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को ओरिएंटल बैंक में विलय किया गया।

सीतारमण ने बताया कि कांग्रेस सरकार के काल में बैंकिंग के गलत तौर तरीकों की वजह से बैंक की माली हालत खराब हुई। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि उनके शासन काल में जब कई बैंक फेल हुए तो कितने लोगों पर कार्रवाई की गई। सीतारमण ने कांग्रेस कार्यकाल के वित्त मंत्रियों के काम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस दौरान के वित्तीय डॉक्टरों के कारण आज बैंक सेक्टर की यह स्थिति हुई है। ध्यान रहे कि पहले भी सरकार की ओर आंकड़े पेश करते हुए आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस काल में उनके नेताओं के फोन पर लोन बांटे जाते थे। बैंकों को करोड़ों का चूना लगाकर विदेश भागने वाले लोगों ने भी कांग्रेस काल में फायदा उठाया था।

धारा-4 के तहत मुआवजा मिलेगा

प्रथम पृष्ठ से आगे

कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सभी भूस्वामी जिनका नाम धारा 4 की अधिसूचना में दिया गया होगा, उन्हें नये कानून के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। उन्हें ब्याज भी मिल सकता है। मुआवजा जमा नहीं कराने से अधिग्रहण प्रक्रिया समाप्त नहीं होती। सरकार जैसे ही भूस्वामी को धारा 31(1) के तहत मुआवजा देती है वैसे ही सरकार का दायित्व पूरा हो जाता है। पंचनामा लिखा जाना भी कब्जा लेना माना जाएगा। कब्जा लेने का आदेश जारी होने पर जमीन सरकार में निहित हो जाती है। 2013 का कानून भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को कानूनी चुनौती देने का नया आधार नहीं देता। यह कानून पूरी हो चुकी अधिग्रहण प्रक्रिया को फिर से खोलने और उन्हें कानूनी चुनौती देने, जैसे मुआवजा खजाने में जमा कराने आदि का आधार नहीं देता। पिछले साल जस्टिस अरुण मिश्रा ने भूमि अधिग्रहण कानून के इस मामले पर सुनवाई से खुद को अलग करने से इन्कार कर दिया था। संविधान पीठ ने 15 अक्टूबर से भूमि अधिग्रहण मामले से जुड़े पांच मुद्दों पर सुनवाई शुरू की थी। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, किसानों के एक संगठन ने जस्टिस मिश्रा को इस मामले से हटने की अपील की। उनका कहना था कि खंडपीठ फैसले की शुद्धता पर सुनवाई कर रही है और जस्टिस अरुण मिश्रा उस फैसले का हिस्सा थे।

मतदाता सूची से आधार को जोड़ने के प्रस्ताव को संसदीय समिति का साथ

- स्थायी समिति की सिफारिश, सरकार करे समुचित कार्रवाई
- जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए चुनाव आयोग ने दिया है प्रस्ताव

नई दिल्ली, प्रेट्र : मतदाता सूची से आधार को जोड़ने संबंधी चुनाव आयोग के प्रस्ताव को संसदीय समिति का साथ मिल गया है। विधि मंत्रालय की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को वोटर आइ-कार्ड से आधार को जोड़ने संबंधी प्रस्ताव पर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। मतदाता सूची की शुद्धता और लोकतांत्रिक राजनीति के लिए यह बेहद जरूरी है। यह सिफारिश अनुदान मांगों (वर्ष 2020-21) का एक हिस्सा है, जिसे विधि एवं कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को संसद में रखा है।

पिछले साल अगस्त में चुनाव आयोग ने नए आवेदकों तथा मौजूदा मतदाताओं से आधार नंबर मांगने के संबंध में सरकार से कानूनी अधिकार प्रदान करने की मांग की थी। उद्देश्य है कि इसके जरिये कई जगहों पर मतदाता के रूप में दर्ज लोगों की छंटनी की जा सके। आयोग ने प्रस्ताव दिया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि चुनाव आयोग के पास नए और मौजूदा मतदाताओं के आधार नंबर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने चुनाव आयोग की उस परियोजना पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत उसने मतदाताओं के चुनावी आंकड़े को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) से जोड़ने की कवायद शुरू की थी। तब चुनाव आयोग नेशनल इलेक्टोरल रॉल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम (एनईआरपीएपी) के तहत आधार नंबर जुटा रहा था। यह कवायद मतदाता सूची में एक व्यक्ति की कई प्रविष्टियों को रोकने और उसे त्रुटिहीन बनाने के लिए शुरू की गई थी। उल्लेखनीय है कि विधि मंत्रालय चुनाव आयोग का नोडल मंत्रालय है।

'मनमाने तरीके से न हो अधिकारियों की तैनाती'

नई दिल्ली, प्रेट्र : एक संसदीय समिति ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि नौकरशाहों की तैनाती (पोस्टिंग) मनमाने तरीके से नहीं होनी चाहिए बल्कि यह संबंधित अधिकारी के रुझान और कौशल के आधार पर होनी चाहिए। साथ ही समिति ने बिना किसी पूर्वाग्रह और पक्षपात के नियमित आधार पर सरकारी अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने और अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले अधिकारियों को हटाने की सिफारिश भी की है।

संसद के पटल पर रखी अपनी रिपोर्ट में कार्मिक, जन शिकायत, कानून एवं न्याय विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने कहा है, 'इससे अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की हौसला अफजाई होगी।' समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) में रिक्त पदों की उल्लेखनीय संख्या पर चिंता भी व्यक्त की और इन पदों को भरने की सिफारिश की।

सख्त रुख

बीदर के शाहीन स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ के अन्य सदस्यों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने का है मामला

देशद्रोह कानून के दुरुपयोग संबंधी याचिका पर सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली, एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशद्रोह कानून का सरकारी तंत्र द्वारा कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित प्रणाली बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया।

जस्टिस एएम खानविलकर ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से दायर याचिका रद करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता सक्षम अधिकरण से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह छात्रों को सीएए और एनआरसी विरोधी ड्रामा करने की अनुमति देने वाले कर्नाटक के एक स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ देशद्रोह को लेकर दर्ज एफआइआर को रद करने की मांग नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि प्रभावित पक्ष की अपील पर वह सुनवाई करेगी। इस मामले में बीदर के शाहीन स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ के अन्य सदस्यों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है।

अयोध्या मामले में पीएफआइ ने दाखिल की क्यूरेटिव याचिका : इस्लामिक संगठन पॉपुलर

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

फ्रंट ऑफ इंडिया ने अयोध्या भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर कर उसके फैसले को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने नौ नवंबर 2019 के आदेश पर रोक लगाए जिसमें कोर्ट ने फैसला 'रामलला' के हक में दिया था। फैसले के खिलाफ दायर अन्य कई याचिकाओं को भी कोर्ट ने पिछले साल 13 दिसंबर को खारिज कर दिया था।

विधि आयोग की रिपोर्ट संबंधी याचिका पर भी सुनवाई से मना

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। उपाध्याय ने अपनी याचिका में केंद्र को भड़काऊ भाषण पर विधि आयोग की रिपोर्ट लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी। शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर विधि आयोग ने 2017 में रिपोर्ट तैयार की थी।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने याचिका नामंजूर करते हुए याची को शीर्ष कोर्ट की संविधान पीठ के पास भड़काऊ भाषण से संबंधित लंबित मुद्दे में हस्तक्षेप याचिका दायर करने को कहा। शीर्ष कोर्ट ने भाजपा नेता को समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान द्वारा बुलंदशहर में सामूहिक दुष्कर्म पर दिए गए भड़काऊ भाषण से संबंधित मामले में भी हस्तक्षेप की अनुमति दे दी। इस मामले में शीर्ष कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों को पुलिस जांच के अधीन आपराधिक मामलों में अपना विचार व्यक्त करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है या नहीं। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में घृणा और भड़काऊ भाषण को परिभाषित किया है। आयोग ने आइपीसी की धारा 153 सी और 505 ए एवं अपराध प्रक्रिया संहिता जोड़ने का सुझाव दिया है।

हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत 20 तक बढ़ी : सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आंदोलन मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत 20 मार्च तक बढ़ा दी है। गुजरात के वस्त्रापुर में 2015 में पाटीदार आंदोलन के दौरान पटेल पर हिंसा भड़काने का आरोप है। जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि वह 20 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगी।

कह के रहेंगे माधव जोशी